भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2008

दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

बाल कल्याण और संरक्षण

2008. श्री अमरसिंग टिस्सोः
श्री ई. टी. मोहम्मद बशीरः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम के कारबी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिले सहित अल्पसेवित क्षेत्रों में बच्चों में कुपोषण और स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विशेषकर असम के कारबी आंगलोंग में शोषण, अवैध दुर्व्यापार और बाल श्रम को रोकने के लिए बाल संरक्षण कानूनों को सुदृढ़ और लागू किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): 15वें वित्त आयोग के तहत, कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की आयु) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक स्व-चयनित (कोई प्रवेश बाधा नहीं) योजना है जो आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में नामांकन करने वाले सभी पात्र लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है और इसे असम के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और पक्ष समर्थन जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, रक्ताल्पता (एनीमिया) और अल्प वजन के प्रसार को कम किया जा सके।

इस योजना के तहत बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को पिछले वर्ष संशोधित और उन्नयित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं। इस में मानदंड में गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता (एनीमिया) को नियंत्रित करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत की पूर्ति करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाया जाने वाला राशन (टीएचआर) तैयार करने के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने और उसका इलाज करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है।

पोषण सिर्फ खाना खाने से नहीं होता; इसके लिए आवश्यक उचित पाचन, अवशोषण और चयापचय स्वच्छता, शिक्षा और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 18 मंत्रालयों/विभागों के बीच क्रॉस कटिंग अभिसरण की मदद से कुपोषण की चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है।

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत सामुदायिक जुटाव और जागरूकता पक्ष समर्थन प्रमुख कार्यकलाप हैं। इसके माध्यम से लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए जन-आंदोलन चलाया जाता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के माह में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

(ख) और (ग): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) का प्रबंधन कर रहा है जो बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करने वाला प्राथमिक कानून है।

इसके अलावा, यह मंत्रालय संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल के तहत देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (सीएनसीपी) और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) को सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सहयोग देने के लिए 'मिशन वात्सल्य' नामक केंद्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी के सहयोग से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जिला प्राधिकरणों और अन्य जैसे कई हितधारकों के क्षमता निर्माण के लिए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है।

मंत्रालय द्वारा की गई पहलों के बारे में अधिक जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है।

(घ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना स्कूल शिक्षा को पूर्व-प्राथमिक से कक्षा XII तक बिना किसी विभाजन के समग्र रूप से मानती है और शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुसार है। यह योजना आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करती है। समग्र शिक्षा की योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप बनाया गया है जिसमें नए शैक्षणिक और पाठ्यचर्या संरचना, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, आधारभूत साक्षरता तथा संख्यात्मकता और छात्र के विकास के लिए मूल्यांकन में परिवर्तन, अनुभवात्मक तथा योग्यता आधारित शिक्षा जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

समग्र शिक्षा के तहत, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 को कार्यान्वित करने के लिए बच्चों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक और सामाजिक श्रेणी के अंतर को दूर करना समग्र शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इस योजना की पहुंच बालिकाओं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों और ट्रांसजेंडर बच्चों तक है। स्कूली शिक्षा में बालिकाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलों को लक्षित किया गया है जिसमें बालिकाओं के लिए स्कूल खोलना, कक्षा आठ तक की बालिकाओं को मुफ्त वर्दी और पाठ्य-पुस्तकें, दूरदराज/पहाड़ी क्षेत्रों में अतिरिक्त शिक्षक और शिक्षकों के लिए आवासीय क्वार्टर, महिला शिक्षकों सहित अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक सीडब्ल्यूएसएन बालिकाओं को वजीफा, बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, मासिक धर्म स्वच्छता (भस्मक आदि), बालिकाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक संवेदीकरण कार्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों सहित लिंग-संवेदनशील शिक्षण-अधिगम सामग्री, आत्मरक्षा प्रशिक्षण शामिल हैं। इसके अलावा, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक अंतर को कम करने और बालिकाओं तक पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, समग्र शिक्षा के तहत, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की व्यवस्था की गई है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जैसे वंचित समूहों से संबंधित कक्षा VI से XII तक की 10-18 वर्ष की आयु की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय हैं।

इसके अलावा, इस योजना के तहत स्कूल शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें सीनियर सेकेंडरी स्तर तक नए स्कूल खोलना/सुदृढ़ करना, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास/सुदृढ़ीकरण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन, पीएम-जनमन के तहत पीवीटीजी के लिए छात्रावासों का निर्माण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, असंतृप्त एसटी आबादी के लिए धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छात्रावासों का निर्माण, आरटीई अधिनियम के तहत प्रतिपूर्ति, विभिन्न गुणात्मक घटकों, शिक्षक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण तथा डीआईईटी/बीआरसी/सीआरसी का सुदृढ़ीकरण, आईसीटी, स्मार्ट क्लास और डिजिटल कार्यकलापों का प्रावधान शामिल है।

****

अनुलग्नक

"बाल कल्याण और संरक्षण" के संबंध में श्री अमरसिंग टिस्सो और श्री टी मोहम्मद बशीर द्वारा दिनांक 6.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2008 के भाग (ख और ग) के उत्तर से संबंधित अनुलग्नक

(i) मिशन वात्सल्य

मिशन वात्सल्य योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों और जिलों को जेजे अधिनियम, 2015 के तहत परिभाषित बच्चों के लिए 24x7 हेल्पलाइन सेवा निष्पादित करने का अधिकार है। चाइल्ड हेल्पलाइन (सीएचएल)-1098 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नियंत्रण कक्षों के माध्यम से गृह मंत्रालय की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली-112 (ईआरएसएस-112) हेल्पलाइन के साथ तालमेल के लिए एकीकृत किया गया है।

मिशन वात्सल्य योजना के कार्यान्वयन के संबंध में मंत्रालय समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगातार संपर्क में रहता है। मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में सहायता के लिए इस योजना के तहत विभिन्न परामर्श जारी किए हैं और क्षेत्रीय सम्मेलन और संवेदीकरण/प्रसार कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

मिशन वात्सल्य योजना के तहत की गई पहल में "संवाद" (कमजोर परिस्थितियों और संकट में बच्चों के लिए समर्थन वकालत और मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप) के तहत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस), बंगलौर के साथ सहयोग शामिल है। संवाद मानसिक स्वास्थ्य, देखभाल एवं संरक्षण, शिक्षा और नीति एवं कानून के क्षेत्रों में काम करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बाल संरक्षण कर्मियों तथा अन्य हितधारकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(ii) दुर्व्यापार से निपटने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा की गई पहलें इस प्रकार हैं:

1. 8 मई, 2020 को कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की स्थिति के बाद बाल दुर्व्यापार से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-हितधारक "ई-परामर्श बैठक" आयोजित की गई जिसमें नीति आयोग, एससीपीसीआर, पुलिस, राज्य सीआईडी, मानव दुर्व्यापार-रोधी इकाइयों के प्रतिनिधि और मानव दुर्व्यापार क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल थे।
2. एनसीपीसीआर ने बाल दुर्व्यापार से निपटने के लिए समय-समय पर अभियान चलाना शुरू किया है, जिसका नाम है, "बाल तस्करी से आज़ादी"। यह अभियान 1 अगस्त 2022 को भारत के 75 सीमावर्ती जिलों में प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व मानव दुर्व्यापार-रोधी दिवस के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। इस अभियान के विस्तार के रूप में, आयोग इस वर्ष भारत के 100 सीमावर्ती और आसपास के जिलों में इसी तरह के अभियान चला रहा है।
3. आयोग ने समय-समय पर आयोग को रिपोर्ट की गई बच्चों के दुर्व्यापार या गुमशुदगी की घटनाओं से निपटने के लिए एक त्वरित प्रतिक्रिया प्रकोष्ठ (क्यूआरसी) स्थापित किया है।
4. 20 नवंबर 2023 से 10 दिसंबर 2023 तक एक महीने का अखिल भारतीय बाल एवं किशोर श्रम बचाव तथा पुनर्वास अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 1464 बच्चों और किशोरों को बचाया गया।
5. विशेष बचाव पहलें:
    i. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना में एक बूचड़खाने इंटरनेशनल एग्रो फूड में चलाए गए एक महत्वपूर्ण बचाव अभियान के माध्यम से मई 2024 में 57 बच्चों को शोषणकारी परिस्थितियों से बचाया गया।

ii. मध्य प्रदेश के रायसेन के सेहतगंज में सोम डिस्टिलरीज में चलाए गए एक और बचाव अभियान के माध्यम से 59 बच्चों को विकट परिस्थितियों से बचाया गया जिनमें 43 नाबालिग थे।

iii. प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों की बहाली और प्रत्यावर्तन की डिजिटल निगरानी और ट्रैक करने के लिए गो होम एंड रीयूनाइट (घर) पोर्टल विकसित किया गया है।

iv. इसके अतिरिक्त भारत में बच्चों की विभिन्न श्रेणियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित निगरानी पोर्टल विकसित किए गए हैं

क. एमएएसआई- निर्बाध निरीक्षण के लिए निगरानी ऐप
ख. बाल स्वराज पोर्टल- कोविड केयर
ग. बाल स्वराज पोर्टल- सीआईएसएस
घ. बाल स्वराज पोर्टल- नागरिक लॉगिन (पोर्टल)
ङ. स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए ट्रैकिंग पोर्टल
च. पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल
छ. एनसीपीसीआर का प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल
ज. पॉक्सो ई-बॉक्स
झ. ई-बालनिदान

(iii) यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012:

सरकार बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इस संबंध में कई पहलें की गई हैं। बच्चों को यौन शोषण और यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए सरकार ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना गया है।

पॉक्सो अधिनियम की धारा-12 के तहत यौन उत्पीड़न करने पर सजा का प्रावधान है जिसमें तीन साल तक की अवधि का कारावास और जुर्माना हो सकता है। बच्चों पर यौन अपराध करने वालों को रोकने और बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से बच्चों पर यौन अपराध करने के लिए मृत्युदंड सहित अधिक कठोर सजा शुरू करने के लिए इस अधिनियम में 2019 में और संशोधन किया गया था।

इसके अलावा बच्चों को शोषण/हिंसा और यौन शोषण से बचाने के लिए मंत्रालय द्वारा पॉक्सो नियमावली, 2020 को भी अधिसूचित किया गया। नियम-3 के तहत पॉक्सो नियम में प्रावधान है कि बच्चों को रखने वाली या बच्चों के नियमित संपर्क में आने वाली कोई भी संस्था जिसमें स्कूल, क्रेच, खेल अकादमियां या बच्चों के लिए कोई अन्य सुविधा शामिल है, को समय-समय पर हर कर्मचारी, शिक्षण या गैर-शिक्षण, नियमित या संविदा, या ऐसे संस्थान का कोई अन्य कर्मचारी जो बच्चे के संपर्क में आता है, का पुलिस सत्यापन और पृष्ठभूमि की जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। ऐसी संस्था को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाए।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 से, नाबालिग गर्भवती बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए निर्भया कोष से "यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के तहत पीड़ितों की देखभाल और सहायता के लिए योजना" नामक एक केंद्रीय वित्तपोषित योजना भी शुरू की है जिसका कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जाएगा। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

i. नाबालिग गर्भवती बालिकाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करना;

ii. दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए सेवाओं की श्रृंखला तक उनकी तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच को सुगम बनाना:

- शिक्षा तक पहुंच,
- पुलिस सहायता,
- चिकित्सा (जिसमें मातृत्व, नवजात और शिशु देखभाल भी शामिल है),
- मनोवैज्ञानिक, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श,
- कानूनी सहायता,
- गैर-संस्थागत देखभाल सहायता, बाल देखभाल संस्थानों/पश्चात देखभाल सुविधाओं में रहने का स्थान, और
- पीड़ित बालिका और उसके नवजात शिशु के लिए एक ही स्थान पर स्वास्थ्य बीमा कवर ताकि ऐसी पीड़ित बालिकाओं को न्याय सुलभ हो सके।

*****